रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052023-245963
CG-DL-E-19052023-245963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2023/वैशाख 29, 1945
No. 333] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2023/VAISAKHA 29, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2023

सं.एल–7/1/0एस44(59)–सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः–**

(क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 है;

(ख) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नए विनियम 6क का अंतःस्थापनः– मूल विनियम के विनियम 6(6) के पश्चात्निम्नलिखितनया विनियम 6क जोड़ा जाएगाः–

"**6क**– आयोग में मानक/नियमित प्रकृति के परामर्श कार्यों के लिए, अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ सीईसी, केविविआ की आधिकारिक वेबसाइट, समाचार पत्र के विज्ञापन/सीपीपीपी पोर्टल पर विज्ञापन के माध्यम से हित की अभिव्यक्ति के प्रति प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर परामर्शियों को शॉर्टलिस्ट करेगा और उनका पैनल तैयार करेगा। हित की अभिव्यक्ति मांगने के लिए जांच में, परामर्श कार्यों के व्यापक प्रकार, पात्रता और परामर्शी (परामर्शियों) द्वारा पूरा किया

जाने वाला अर्हता मानदंड और समान कार्य या सेवा में परामर्शदाता का अतीत का अनुभव संक्षेप में शामिल होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए परामर्शियों की संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद सीईसी द्वारा तैयार किया गया पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा। अध्यक्ष, पैनल की वैधता को एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। पैनल की वैधता के दौरान, परामर्शियों के पैनल से वित्तीय बोली आमंत्रित की जाएंगी और परामर्शी 'न्यूनतम लागत प्रणाली' के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।"

3. मूल विनियम के विनियम 8क का संशोधनः मूल विनियम के विनियम 8क का खंड (4) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगाः–

"(4) स्टाफ परामर्शी को निम्नलिखित श्रेणियों में, समुचित कार्यात्मक पदनाम, शैक्षणिक अर्हताओं के अनुरूप, वर्षों की संख्या में कुल अनुभव, डोमेन विशेषज्ञता और डिलिवरेबल्स के लिए अपेक्षित ज्ञान के साथ नियुक्त किया जाएगा।"

श्रेणी	**मासिक शुल्क सीमा* (₹ में)**	**अनुभव (पूर्ण वर्षों में)**	**अर्हताएं**
अनुसंधान सहयोगी	45,000 से 80,000	शून्य से तीन वर्ष	कार्य अपेक्षा के अनुरूप संदर्भ के निबंधनों के जारी किए जाने के समय पर यथा निर्धारित।
अनुसंधान अधिकारी	64,000 से 1,10,000	चार से सात वर्ष	
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	94,000 से 1,25,000	आठ से नौ वर्ष	
प्रधान अनुसंधान अधिकारी	1,10,000 से 1,50,000	दस वर्ष और उससे अधिक	

* कर/उपकर, यदि लागू हो, को छोड़कर। शुल्क का निर्धारण, तत्काल पूर्व रोजगार में आहरित परिलब्धियों को ध्यान में रखने के बाद किया जाएगा।

परंतु यह कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त/सांविधिक निकायों से सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से परामर्शियों की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा संचालित होगीः–

श्रेणी	**मासिक शुल्क सीमा* (₹ में)**	**अर्हताएं एवं अनुभव**
तकनीकी अधिकारी 'क'	50,000 से 80,000	कार्य अपेक्षा के अनुरूप संदर्भ के निबंधनों के जारी किए जाने के समय पर यथा निर्धारित।
तकनीकी अधिकारी 'ख'	65,000 से 1,10,000	
तकनीकी अधिकारी 'ग'	90,000 से 1,25,000	
तकनीकी अधिकारी 'घ'	1,10,000 से 1,50,000	

*कर/उपकर, यदि लागू हो, को छोड़कर

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./114/2023-24]

नोटः

(क) मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) सं.160,भाग–III, खंड 4 में दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 को प्रकाशित हुए थे,

(ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2010 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग– III, खंड–4,सं.223 में दिनांक 06 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित हुए थे,

(ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग– III, खंड–4,सं.286 में दिनांक 07 अक्तूबर, 2014 को प्रकाशित हुए थे,

(घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग– III, खंड–4,सं.46 में दिनांक 10 फरवरी, 2017 को प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2023

No. L-7/1/0S44(59)-CERC.- In exercise of the powers conferred under Section 91(4) read Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations,2008 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations"), namely:-

1. Short title and commencement :-

   (a) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Fourth Amendment) Regulations, 2023;

   (b) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of a new Regulation 6A :– After Regulation 6(6) of Principal Regulations,a new regulation 6A shall be added as under :-

*"**6A** – For consulting assignments of a standard/regular nature in Commission, The CEC with the approval of the Chairperson shall shortlist and prepare a panel of Consultants based on responses received against Expression of Interest through advertising on CERC's official website, newspaper advertisement/CPPP Portal. Enquiry for seekingExpression of Interest shall includein brief, the broad type of consulting assignments, eligibility andthe pre-qualification criteria to bemetby the consultant(s) and consultant'spast experience in similar work orservice. The number of short listed consultants should not be less than three.*

The panel prepared by the CEC after approval of Chairperson will be valid for one year. The Chairperson may further extend the validity of the panel for one more year. During the validity of panel, the financial bids shall be invited from the panel of consultants and the consultant shall be engaged on the basis of 'Least Cost System'."

3. Amendment of Regulation 8A of Principal Regulations: Clause (4) of Regulation 8A of the Principal Regulations shall be amended as under:-

"(4) The Staff Consultant shall be engaged with appropriate functional designation, in the following categories, commensurate with the academic qualifications, total experience in number of years, domain expertise and knowledge required for the deliverables."

Category	**Monthly Fee Range*** **(in ₹)**	**Experience** **(in completed years)**	**Qualifications**
Research Associate	45,000 to 80,000	Zero to Three years	As may be decided at the time of issue of Terms of Reference commensurate with the work requirement.
Research Officer	64,000 to 1,10,000	Four to Seven years	
Senior Research Officer	94,000 to 1,25,000	Eight to Nine years	
Principal Research Officer	1,10,000 to 1,50,000	Ten years and above	

*excluding tax/cess, if applicable. Fee shall be fixed taking into consideration the emoluments drawn in immediate previous employment.

Provided that the engagement of Consultants from among persons who have retired from the Government, Public Sector Undertakings or Autonomous / Statutory Bodies shall begoverned by the following:-

Category	**Monthly Fee Range*** **(in ₹`)**	**Qualifications & Experience**
Technical Officer 'A'	50,000 to 80,000	As may be decided at the time of issue of Terms of Reference commensurate with the work requirement.
Technical Officer 'B'	65,000 to 1,10,000	
Technical Officer 'C"	90,000 to 1,25,000	
Technical Officer 'D'	1,10,000 to 1,50,000	

*excluding tax/cess, if applicable

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy
[ADVT.-III/4/Exty./114/2023-24]

.

Note:-

(a) The principal regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 160, Part III, Section 4 on 14 October, 2008,

(b) Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Amendment) Regulations, 2010 were published on 06 September, 2010 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No 223,

(c) Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Second Amendment) Regulations, 2014 were published on 07 October, 2014 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No 286,

(d) Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Third Amendment) Regulations, 2017 were published on 10 February, 2017 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No 46.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA